मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किये जाने के लिये दिशा–निर्देश

1. ऑनलाइन आवेदन यूनीकोड फोंट में भरा जा सकेगा । यूनिकोड फांट डाउनलोड करने का लिंक होम पेज पर दिया गया है ।
2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो तथा जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पॉचवीं उत्तीर्ण है और जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं वे आवेदन कर सकते हैं ।
3. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो तथा जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण है और जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं वे आवेदन कर सकते हैं ।
4. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत रू. 20.00 हजार से 10.00 लाख तक की सीमा के अन्दर ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है।
5. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत रू. 10.00 लाख से रू. 1.00 करोड़ की सीमा के अन्दर आवेदन किया जा सकता है।
6. दोनों योजनाओं में आवेदन हेतु आवेदकों के पास आधार पहचान पत्र होना अनिवार्य है ।
7. दोनों योजनाओं में आवेदन करने हेतु आवेदक को अपना स्वयं का बैंक बचत खाता क्रमांक, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड दिया जाना अनिवार्य है ।
8. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.00 लाख मार्जिन मनी सहायता देय होगी तथा बी.पी.एल अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अल्पसंख्यक, महिला, निःशक्तजन श्रेणी के आवेदकों को कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 2.00 लाख मार्जिनमनी सहायता देय होगी
9. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत आवेदकों को मार्जिन मनी सहायता की पात्रता प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश पर 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 12.00 लाख) होगी ।
10. दोनों योजनाओं में आवेदकों को 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों के लिये ब्याज अनुदान सहायता देय होगी ।

11. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत चेक लिस्ट के अनुसार सभी सहपत्रों एवं निर्धारित प्रारूप में परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाकर स्केनिंग के उपरांत अपलोड किया जाना होगा ।

12. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत अन्य सभी सहपत्रों के साथ चाटर्ड अकाउंटेंट के द्वारा तैयार **किये गए** परियोजना प्रतिवेदन को अपलोड किया जाना आवश्यक होगा ।

13. ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक स्वयं अपने स्तर से अथवा एम पी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं । दोनों ही तरह से आवेदन करने पर आवेदक को निर्धारित फीस का भुगतान करना आवश्यक होगा ।

14. आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने के पूर्व आवेदक को सभी आवश्यक सहपत्रों की साफ्‌टकापी को तैयार रखना चाहिये ताकि सहपत्रों को अपलोड किये जाने में कोई समस्या न हो ।

15. आवेदक का आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाने पर एसएमएस के माध्यम से उसे सूचना प्राप्त होगी जिसमें आवेदक को प्रकरण क्रमांक दिया जायेगा जो कि भविष्य में उसे प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने में काम आयेगा ।

16. आवेदक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात यह प्रकरण में किसी तरह की कमी पाई जाती है तो उसे ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदक को वापस किया जायेगा जिसकी सूचना उसे पंजीकृत मोबाईल पर प्राप्त होगी । प्रकरण में दर्शाई गई कमीपूर्ति को पूर्ण कर आवेदक प्रकरण पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे ।

17. आवेदक उसके प्रकरण की स्थिति मोबाईल एप पर प्रकरण क्रमांक दर्ज करने पर प्राप्त कर सकेगा । आवेदक के पास यह सुविधा न होने पर पर वह एम पी ऑनलाइन के ग्राहक सेवा केन्द्र में दूरभाष पर संपर्क कर प्रकरण की स्थिति ज्ञात कर सकता है ।

18. आवेदक का प्रकरण टास्क फोर्स समिति की अनुशंसा के पश्चात बैंक को प्रेषित किया जायेगा जिसकी सूचना उसे एस एम एस के माध्यम से प्राप्त होगी । बैंक से संबंधित कार्यवाही हेतु आवेदक को संबंधित बैंक शाखा में संपर्क करना होगा ।

19. स्वयं अपने स्तर से आवेदन करने वाले आवेदक किसी तरह की समस्या आने पर एम पी ऑनलाईन के ग्राहक सेवा केन्द्र के दूरभाष क्रमांक 0755–4019400 पर संपर्क कर सकते हैं ।

20. आवेदन में दिये गये तथ्य एवं जानकारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी । अतः अंतिम रूप से आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व आवेदन में दी गई समस्त जानकारी को

आवेदक द्वारा सावधानीपूर्वक स्वयं चेक कर लिया जाना चाहिये ताकि त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रस्तुत न हो ।